न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मण्डावा

पीठासीन अधिकारी मुकेश कुमारी (आर.ए.एस)

राजस्व वाद संख्या 66 / 2024

1 शांति देवी पत्नी माधा राम जाति मेघवाल निवासी हमीरवास तहसील बिसाऊ जिला झुन्झुनू (राज.)

2 हरलाल सिंह पुत्र माधा राम जाति मेघवाल निवासी हमीरवास तहसील बिसाऊ जिला झुन्झुनू (राज.)

3 जगदीश पुत्र माधा राम जाति मेघवाल निवासी हमीरवास तहसील बिसाऊ जिला झुन्झुनू (राज.)

4 शिवराम पुत्र माधा राम जाति मेघवाल निवासी हमीरवास तहसील बिसाऊ जिला झुन्झुनू (राज.)

5 बिमला पुत्री माधा राम जाति मेघवाल निवासी हमीरवास तहसील बिसाऊ जिला झुन्झुनू (राज.)

6 सुगना पुत्री माधा राम जाति मेघवाल निवासी हमीरवास तहसील बिसाऊ जिला झुन्झुनू (राज.)

7 संतोष पुत्री माधा राम जाति मेघवाल निवासी हमीरवास तहसील बिसाऊ जिला झुन्झुनू (राज.) प्रार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये लैण्ड हॉल्डर तहसीलदार महोदय बिसाऊ तहसील गण्डावा जिला झुन्झुनू (राज.)

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू– राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

निर्णय दिनांक :– 24.07.2025

संक्षेप मे प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि वाके ग्राम हमीरवास पटवार हल्का बिरमी तहसील बिसाऊ जिला झुन्झुनू की सरहद में अवस्थित भूमि हाल खाता संख्या 63 के वर्तमान खसरा नम्बर 101/266 रकबा 0.14 हैक्टर, खसरा नम्बर 102 रकबा 0.36 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 0.50 हैक्टर भूमि अवस्थित है।यह कि वाके ग्राम बिरमी तहसील बिसाऊ जिला झुन्झुनू की सरहद में अवस्थित भूमि हाल खाता संख्या 129 के वर्तमान खसरा नम्बर 179 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नम्बर 180 रकबा 2.47 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 2.48 हैक्टर भूमि अवस्थित है। यह कि प्रार्थना पत्र की धारा 1 व 2 में वर्णित भूमि प्रार्थीगण के पिता के नाम से है। प्रार्थीगण के पति व पिता माधा राम का स्वर्गवास हो चुका है। प्रार्थना पत्र की धारा 1 में वर्णित भूमि के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीगण के पति व पिता का नाम गलत व सहवन से महादेव पुत्र लादुराम दर्ज हो गया इसी प्रकार प्रार्थना पत्र की धारा 2 में वर्णित भूमि में प्रार्थीगण के पति व पिता का नाम महादाराम पुत्र लादूराम दर्ज हो गया जबकि प्रार्थीगण के पति व पिता का सही नाम माधा राम पुत्र लादूराम है। इसलिए प्रार्थना पत्र की धारा 1 व 2 में वर्णित भूमि के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीगण के पति व पिता का सही नाम भाधा राम पुत्र लादूराम दर्ज किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जाना न्यायहित में न्यायोचित है। यह कि प्रार्थीगण के पति व पिता का स्वर्गवास होने पर उक्त भूमि का फौती नामांतकरण दर्ज करवाने के लिए दिनांक 2/11/2024 कोराजस्व रिकार्ड की नकल ली तब प्रार्थीगण को उक्त गलत राजस्व रिकार्ड की जानकारी हुई। इसलिए प्रार्थना पत्र की धारा 1 व 2 में दर्ज भूमि का राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीगण के पति व पिता का सही नाम माधा राम पुत्र लादूराम दर्ज किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जाने के आदेश प्रदान करें। प्रार्थीगण अपने पति व पिता के नाम के समर्थन में आधार कार्ड, राशन कार्ड, व अन्य दस्तावेज प्रस्तुत कर रहे है। यह कि वाद कारण दिनांक 2/11/2024 को प्रार्थीगण द्वारा उक्त राजस्व रिकार्ड की नकल लेने पर उक्त राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीगण के पति व पिता का नाम गलत नाम दर्ज होने के कारण प्रार्थी ने तहसीलदार महोदय बिसाऊ से सम्पर्क किया तो तहसीलदार महोदय ने सक्षम न्यायालय के आदेश के बगैर रिकार्ड दुरूस्त करने से मना करने के कारण श्रीमान जी के क्षेत्राधिकार में पैदा हुआ है।यह कि प्रार्थना पत्र अ.धारा 136 राज. भू. राजस्व अधि. के तहत पेश है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश

अहकाम जो इस

कर निवेदन है कि प्रार्थीका प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर वाके ग्राम हमीरवास पटवार हल्का बिरमी तहसील बिसाऊ जिला झुन्झुनू की सरहद में अवस्थित भूमि हाल खाता संख्या 63 के वर्तमान खसरा नम्बर 101/266 रकबा 0.14 हैक्टर, खसरा नम्बर 102 रकबा 0.36 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 0.50 हैक्टर भूमि तथा वाके ग्राम बिरमी तहसील बिसाऊ जिला झुन्झुनू की सरहद में अवस्थित भूमि हाल खाता संख्या 129 के वर्तमान खसरा नम्बर 179 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नम्बर 180 रकबा 2.47 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 2.48 हैक्टर भूमि के राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त करतेहुवे प्रार्थीगण के पति व पिता का सही नाम माधा राम पुत्र लादूराम दर्ज किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जाने के आदेश प्रदान करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी भूमि अधिकारी राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिसाऊ को तलबी नोटिस जारी किये। तहसीलदार बिसाऊ द्वारा रिपोर्ट पेश की ग्राम हमीरवास के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड अनुसार खाता नः 63 में प्रार्थीगण का के पिता नाम महादेव पुत्र लादूराम दर्ज है व खाता संख्या 129 में प्रार्थीगण का के पिता नाम महादाराम पुत्र लादूराम दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात् के आधार पर प्रार्थीगण का के पिता का नाम माधाराम पुत्र लादूराम है।

पत्रावली का अवलोकन एवं प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों का अध्ययन किया गया। वाके ग्राम हमीरवास के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड अनुसार खाता नः 63 में प्रार्थीगण का के पति/पिता नाम महादेव पुत्र लादूराम दर्ज है व खाता संख्या 129 में प्रार्थीगण का के पति/पिता नाम महादाराम पुत्र लादूराम दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थीगण के द्वारा प्रस्तुत पहचान दस्तावेजात एवं तहसीलदार मण्डावा की रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थीगण के पति/पिता का वास्तविक नाम माधाराम पुत्र लादूराम है। अतः तहसीलदार मण्डावा की रिपोर्ट एवं उपलब्ध साक्ष्य सबूतों एवं तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित एवं न्यायोचित होता है।

निर्णय

अतः ग्राम हमीरवास बिरमी के खाता संख्या 63 में दर्ज प्रार्थीगण के पति/पिता का नाम महादेव पुत्र लादूराम के स्थान पर माधाराम पुत्र लादूराम व खाता संख्या 129 में महादाराम पुत्र लादूराम के स्थान पर माधाराम पुत्र लादूराम कर संशोधन करने के आदेश दिये जाते है।पालनार्थ तहरीर तहसीलदार बिसाऊ को जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर से कम हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 24.07.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावा

(सुनेश कुमारी)
उपखण्ड अधिकारी,